


कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1819 004
पत्र संख्या -फार्म अनु0 -447 आ0घो0प0सं0-2017-18 /

-12 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश
(फार्म अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :17 अप्रैल :2018

विज्ञप्ति

उत्तर-प्रदेश वैट नियमावली -2008 के नियम 56 के उपनियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मैं एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा पत्रों के विवरण निम्नवत प्रकाशित करता हूँ जिसके खो जाने / चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ।

क्रम सं०	व्यापारियों का नाम व पता	फार्मों की संख्या	आयात घोषणा पत्रों /ओ0सी0स्टैम्प की सीरीज एवं क्रमांक
1-	सर्वश्री बरेली ड्रग हाउस ए-1, सुपर मार्केट, शास्त्री मार्केट, बरेली टिन- 09707401712	01	फार्म-38 सीरीज संख्या-F / KK 1889466
2-	सर्वश्री चेतु बिक्रेट उद्योग चन्दासी, चन्दौली टिन-09182401914	01	फार्म-डी संख्या-030346
3-	सर्वश्री राजस्थान मार्बल एंड ग्रेनाइट, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर टिन नं०- 09772811833	01	फार्म-38 सीरीज संख्या- EE / 2514264
4-	सर्वश्री शाकिर मियाँ ठेकेदार टाऊन एरिया फरीदपुर बहेड़ी (टिन नं०-09307401182)	01	फार्म-38 सीरीज संख्या-EE 0675120


(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ०प० सं० व दिनांक उक्त :-

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) -अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री ,30प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।



- (2)- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि०अनु०शा०)वा०कर उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति भिजवाने का कष्ट करें ।
- (3)- डिप्टी कमिश्नर (उ०न्याय कार्य) इलाहाबाद लखनऊ ।
- (4)- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०) / असिस्टेंट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी / मण्डल / उपमण्डल खण्ड,वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए / नष्ट हुए फार्म के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र सं० (विधि -2 सत्यापन) (85-86)-201/बिक्रीकर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं०-फार्म-31(91-92)-फार्म मुद्रण -865 / बिक्रीकर दिनांक 2-11-91 के अनुसार कार्यवाही /अनुपालन/किया जाना सुनिश्चित करें ।
- (5)- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी/ स०द०, वा० क० उत्तर प्रदेश ।
- (6)- मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
- (7)- विधि / मैनुअल / नई इकाई को पाँच पाँच प्रतियाँ ।
- (8) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- (9)-पी०एस० जैन अधिवक्ता सदस्य ,उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 ए सेक्टर -27 नोएडा ।
- (10)- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस ,आर० -15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (11)- श्रीमती इन्दु मिश्रा , इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (12)- महालेखाकार (कार्मिशयल एवं रिसीट आडिट) यू०पी०, 6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ ।
- (13)- समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

Amf

(आनन्द पाण्डेय)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म)वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।